पत्रांक –3/एम०–25/2020सा0प्र0 1031 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 25-1- 2021

विषय– **विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष संबंधित गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रतिवेदित लांछनों के संदर्भ में प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त आवश्यकतानुसार **बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017** के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र का गठन किया जाता है। विनियमावली में आरोप पत्र के गठन हेतु निर्धारित प्रपत्र के चतुर्थ भाग में उन दस्तावेजों तथा साक्षियों (गवाहों) की सूची संलग्न करने का प्रावधान है जिनके आधार पर आरोप की मदों को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित हो।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा सूचीबद्ध साक्षियों को सुनवाई में गवाही हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है। परन्तु कतिपय मामलों में ऐसा पाया जा रहा है कि संचालन पदाधिकारी के निदेश के बावजूद भी गवाह उपस्थित नहीं होते हैं अथवा उनके द्वारा उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की जाती है। फलतः विभागीय कार्यवाही का संचालन दुष्प्रभावित होता है।

3. विदित हो कि–

(i) Departmental Enquiries (Enforcement of Attendance of Witness and Production of Document) Act 1972 (Act No 18 of 1972) की धारा–5 का प्रावधान निम्नवत् है–

"5. Power of authorised inquiring authority to enforce attendance of witnesses and production of documents.

(1) Every inquiring authority authorised under section 4 (hereafter referred to as the "authorised inquiring authority") shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely:

(a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document or other material which is producible as evidence;

(c) the requisitioning of any public record from any court or office.

(ii) Code of Civil Procedure, 1908 की धारा–32 का प्रावधान निम्नवत् है–

"32. The court may compel the attendance of any person to whom a summons has been issued under section 30 and for that purpose may-

(a) Issue a warrant for his arrest;

(b) Attach and sell his property;
(c) Impose a fine upon him [not exceeding five thousand rupees;
(d) Order him to furnish security for his appearance and in default commit him to the civil prison.

(iii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(14) का प्रावधान निम्नवत् है–

"(14) जाँच के लिये नियत तिथि को, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जिनके आधार पर आरोप की मदों को साबित करना प्रस्तावित हो, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। **साक्षियों का परीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किया जायेगा और सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी उन बिन्दुओं पर साक्षियों का पुनर्परीक्षण करने का हकदार होगा जिन पर उनका प्रतिपरीक्षण किया गया हो, किन्तु जाँच प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी नये विषय पर प्रतिपरीक्षण नहीं करेगा। जाँच प्राधिकार भी साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिसे वह उचित समझे।"**

4. उपर्युक्त कंडिका–3 में वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि Departmental Enquiries (Enforcement of Attendance of Witness and Production of Document) Act 1972 (Act No 18 of 1972) के अंतर्गत Authorised inquiring authority को Code of Civil Procedure, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्रदत्त है। अतः उपर्युक्त स्थिति में विभागीय कार्यवाही में भी Code of Civil Procedure, 1908 की धारा–32 के अंतर्गत आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

5. स्पष्टतः किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का नियमानुकूल निष्पादन हेतु संचालन पदाधिकारी के आदेश पर विभागीय कार्यवाही की सुनवाई की तिथि को साक्षी/गवाह की उपस्थिति अनिवार्य है। संचालन पदाधिकारी के आदेश के बावजूद साक्षी/गवाह द्वारा सुनवाई की तिथि को अनुपस्थित रहने पर यदि संचालन पदाधिकारी चाहे तो Code of Civil Procedure, 1908 की धारा–32 के प्रावधान के तहत संबंधित साक्षी/गवाह को सुनवाई की तिथि को उपस्थित रहने हेतु बाध्य किया जा सकता है।

6. वर्णित स्थिति में यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा संबंधित साक्षी/गवाह की उपस्थिति हेतु आदेश दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में साक्षी/गवाह को सुनवाई की निर्धारित तिथि को संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की बाध्यता है। यदि संचालन पदाधिकारी के आदेश के बावजूद संबंधित साक्षी/गवाह संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने से इंकार करे तो संचालन पदाधिकारी Code of Civil Procedure, 1908 की धारा–32 के प्रावधान के तहत अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु सक्षम है।

7. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–5 एवं 6 में वर्णित तथ्यों से अपने अधीनस्थों को अवगत कराने की कृपा की जाय तथा उक्त प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

25/1/2021

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।